कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय मांग संख्या 90 कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

(₹ करोड़)

सुन्त 2171.20 28.82 2198.02 3144.00 259.00 300.00 2750.54 69.52 2820.06 2928.11 63.10 2889.21 2899.21 2899.21 2899.21 2899.21 2899.21 2899.21 2899.21 2899.21 2899.21 2899.21 2899.21 2899.21 2899.21 2899.21 2899.21 2899.21 2899.21 2899.21 2899.21 2899.		वास्तवि	वास्तविक 2017-2018			ৰजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
हुन्त 2171.20 26.82 2198.02 3141.00 259.00 3400.00 2750.54 69.52 2820.06 2926.11 63.10 2989.21 वस्तृतियां		राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
स्तित्य प्राप्तियां प्राप्तियां प्राप्तियां प्राप्तियां प्राप्ति का स्वाप्ति		2171.20	•	2198.02	3141.00	259.00	3400.00	2750.54		2820.06	2926.11	63.10	2989.21	
मिन्तियां स्वाप्तियां स्वाप्तियं स्वाप्तियां स्वाप्तियं स्वाप्तियं स्वाप्तियं स्वाप्तियं स्वाप्तियं स्वाप्तियं स्वाप्तियं स्वाप्तियं स्वापतियं		<i>यां</i>												
स्ति विस् ते शाप प्राप्त के साम के साम प्राप्त के														
के हा अपर - श्विचारण व्यक्ति से बार के बार कर आरंदर रा प्रवार है: - श्विचारण व्यक्ति से नाए			26.82			250.00		2750 54	60 52	2820.06	2026 11	63 10	2080 21	
सेंद्र का स्थापना व्यथ 1. सिवनावय आर्थिक तेवाएं 41.24 6.83 48.07 70.00 56.66 126.66 51.72 3.00 54.72 269.46 43.10 312.56 साम्ब देश वेश परम को से क्षेत्रकार परम को से क्षेत्रकार विकास श्रीवाणित योजनाएं को एक्ष केश्वर विवास श्रीवाणित योजनाएं को एक्ष केश्वर विवास श्रीवाणित योजनाएं को एक्ष केश्वर विवास श्रीवाणित योजनायं को श्रीवाणा को योजनायं को श्रीवाणा को योजनायं केश्वर विवास को स्थालायं को योजनायं को श्रीवाणा विवास केश्वर विवास केश्वर विवास विवास केश्वर विवास केश्वर विवास केश्वर विवास विवास केश्वर विवास वि		2171.20	20.02	2190.02	3141.00	239.00	3400.00	2730.34	03.32	2020.00	2320.11	03.10	2909.21	
नेन्द्र ना स्थापना व्यवस्था विश्वस्था विश्वस्थ विश्वस्य विश्वस्थ विश्वस्थ विश्वस्थ विश्वस्थ विश्वस्थ विश्वस्थ विश्वस्थ विश्वस्थ विश्वस्थ विश्वस्य विश्वस्थ विश्वस्थ विश्वस्य विश्वस्थ विश्वस्थ विश्वस्थ विश्वस्थ विश्वस्य विश्वस्य विश्वस्य विश्वस्थ विश्वस्थ विश्वस्य विश	क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:													
नेन्द्र ना स्थापना व्यवस्था विश्वस्था विश्वस्थ विश्वस्य विश्वस्थ विश्वस्थ विश्वस्थ विश्वस्थ विश्वस्थ विश्वस्थ विश्वस्थ विश्वस्थ विश्वस्थ विश्वस्य विश्वस्थ विश्वस्थ विश्वस्य विश्वस्थ विश्वस्थ विश्वस्थ विश्वस्थ विश्वस्य विश्वस्य विश्वस्य विश्वस्थ विश्वस्थ विश्वस्य विश														
1. सचिवालय अर्थिक नेवाएं पान्य बीर पांच पान्य केरी में बन्दार पान्य बीर पांच पान्य केरी में बन्दार प्रान्य बीर पांच पान्य केरी में बन्दार स्वित्र प्रायाचित योजनाएं कार्य एवं भीवन विकास 2. याजनार्थी कीरकार विकास गेवना 2.01 मीजन विकास 2.02 पिनशुला को गोथासहन 2.03 उस्मिता विकास 4.92 1736.19 2154.34 2154.34 2250.34 2250.34 2050 2000 2.04 संस्थारत प्रशिक्षण को अवसंभित्र को सुनुह करना 4.92 4.92 87.86 87.86 20.50 20.50 125.15 2.05 सिनशुल स्वाप्ता का सुनुह करना 3.00 किरा प्राप्त केरी सुनुह	केंद्र का व्यय													
पान बीर संघ राज्य केवों को बन्यरण केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं कर्म पूर्व जीवल विकास जेवला 2.01 श्रीवल विकास 1736.19 1736.19 2154.34 2250.34 2250.34 2260.00 2400.00 2.02 प्रविश्वता को योजाहल 4.92 4.92 87.86 87.86 20.50 20.50 37.25 61.25 2.03 उप्यमिता विकास 4.92 4.92 87.86 87.86 20.50 20.50 37.25 37.25 2.04 संस्थानत प्रतिक्षण की अवसं्य्यना को सुदृह करना	केन्द्र का स्थापना व्यय													
सेदीय प्रायोजित योजनाएं सर्व एवं केवल विकास 2. प्रधानमंत्री कैवल विकास गोजना 2.01 कीवल विकास को प्रोलाइल 2.03 उद्यमिता विकास को प्रोलाइल 2.03 उद्यमिता विकास को प्रालाइल 2.04 संस्थारात प्रशिक्षण की अवसं∘रचना को मुद्दूड करना 2.05 कीवल संस्थानों को सुद्दूड करना 2.06 विनियासक संस्थानों को सुद्दूड करना 2.07 आवर्ष आदेदीआई/बाढ़ कोवल प्रशिवण संस्थान 2.08 विनियासक संस्थानों को सुद्दूड करना 2.09 विश्वता और प्रशिवण प्रशिवण संस्थान 2.00 विश्वता और प्रशिवण प्रशिवण संस्थान 2.00 विश्वता और प्रशिवण प्रशिवण संस्थान 2.00 विश्वता और प्रशिवण विकास प्रावेत 2.01 प्रावृत्व कीवल प्रशिवण मंत्र्यान 2.02 विश्वता और प्रशिवण विकास प्रावेत 2.03 प्रश्वता की प्रावृत्व कीवल प्रशिवण मंत्र्यान 2.04 विश्वता और प्रशिवण विकास प्रावेत 2.05 विश्वता और प्रशिवण विकास प्रावेत 2.07 प्रश्वता की प्रावेत विकास प्रावेत 2.08 विश्वता और प्रशिवण विकास प्रावेत 2.09 विश्वता और प्रशिवण विकास प्रावेत 2.00 19.90 19.90 19.90 19.90 21.90 20.00 20.00 44.47 44.47	1. सचिवालय आर्थिक सेवाएं	41.24	6.83	48.07	70.00	56.66	126.66	51.72	3.00	54.72	269.46	43.10	312.56	
सेदीय प्रायोजित योजनाएं सर्व एवं केवल विकास 2. प्रधानमंत्री कैवल विकास गोजना 2.01 कीवल विकास को प्रोलाइल 2.03 उद्यमिता विकास को प्रोलाइल 2.03 उद्यमिता विकास को प्रालाइल 2.04 संस्थारात प्रशिक्षण की अवसं∘रचना को मुद्दूड करना 2.05 कीवल संस्थानों को सुद्दूड करना 2.06 विनियासक संस्थानों को सुद्दूड करना 2.07 आवर्ष आदेदीआई/बाढ़ कोवल प्रशिवण संस्थान 2.08 विनियासक संस्थानों को सुद्दूड करना 2.09 विश्वता और प्रशिवण प्रशिवण संस्थान 2.00 विश्वता और प्रशिवण प्रशिवण संस्थान 2.00 विश्वता और प्रशिवण प्रशिवण संस्थान 2.00 विश्वता और प्रशिवण विकास प्रावेत 2.01 प्रावृत्व कीवल प्रशिवण मंत्र्यान 2.02 विश्वता और प्रशिवण विकास प्रावेत 2.03 प्रश्वता की प्रावृत्व कीवल प्रशिवण मंत्र्यान 2.04 विश्वता और प्रशिवण विकास प्रावेत 2.05 विश्वता और प्रशिवण विकास प्रावेत 2.07 प्रश्वता की प्रावेत विकास प्रावेत 2.08 विश्वता और प्रशिवण विकास प्रावेत 2.09 विश्वता और प्रशिवण विकास प्रावेत 2.00 19.90 19.90 19.90 19.90 21.90 20.00 20.00 44.47 44.47														
सेदीय प्रायोजित योजनाएं सर्व एवं केवल विकास 2. प्रधानमंत्री कैवल विकास गोजना 2.01 कीवल विकास को प्रोलाइल 2.03 उद्यमिता विकास को प्रोलाइल 2.03 उद्यमिता विकास को प्रालाइल 2.04 संस्थारात प्रशिक्षण की अवसं∘रचना को मुद्दूड करना 2.05 कीवल संस्थानों को सुद्दूड करना 2.06 विनियासक संस्थानों को सुद्दूड करना 2.07 आवर्ष आदेदीआई/बाढ़ कोवल प्रशिवण संस्थान 2.08 विनियासक संस्थानों को सुद्दूड करना 2.09 विश्वता और प्रशिवण प्रशिवण संस्थान 2.00 विश्वता और प्रशिवण प्रशिवण संस्थान 2.00 विश्वता और प्रशिवण प्रशिवण संस्थान 2.00 विश्वता और प्रशिवण विकास प्रावेत 2.01 प्रावृत्व कीवल प्रशिवण मंत्र्यान 2.02 विश्वता और प्रशिवण विकास प्रावेत 2.03 प्रश्वता की प्रावृत्व कीवल प्रशिवण मंत्र्यान 2.04 विश्वता और प्रशिवण विकास प्रावेत 2.05 विश्वता और प्रशिवण विकास प्रावेत 2.07 प्रश्वता की प्रावेत विकास प्रावेत 2.08 विश्वता और प्रशिवण विकास प्रावेत 2.09 विश्वता और प्रशिवण विकास प्रावेत 2.00 19.90 19.90 19.90 19.90 21.90 20.00 20.00 44.47 44.47														
सार्य एवं सीमाल विकास 2. प्रधानमंत्री कीमल विकास योजना 2.01 चीमल विकास 2.02 प्रशिक्षत की प्रसाहत 3.03 उपिता विकास 4.92 4.92 87.86 87.86 20.50 20.50 37.25 61.25 2.04 संस्थान प्रशिक्षण की अवसं्रवन को मुद्दूह करना 2.05 चीमला क्रमण की अवसं्रवन को मुद्दूह करना 3.05 चीमला क्रमण के स्थानों का मुद्दूहिक्पण 3.06 विनियासक संस्थानों को मुद्दूहिक्पण 3.07 अवर्ष आईटीआईडिक्ट्रीचील प्रशिक्षण संस्थान 3.08 प्रशिक्ष की प्रसाहत प्रशिक्षण के साम्याल प्रशिक्षण संस्थान 3.09 शिक्षत और प्रशिव्यण 3.00 2.00 3.300 3.00 2.00 3.300 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00														
2. प्रधानमंत्री कीशन विकास ग्रेजना 2.01 कीशन विकास 1736.19 1736.19 2154.34 2154.34 2250.34 2250.34 2400.00 2400.00 2.02 प्रणिश्चता को ग्रोस्पाहन	·													
2.01 कौशन कितास 1736.19 1736.19 2154.34 2154.34 2250.34 2250.34 2400.00 2400.00 20.00 20.00 3 उपिता को प्रोत्साहन														
2.02 प्रशिक्षता को प्रोत्साहन		1700 10		1700 10	0454.04		0454.04	0050.04		0050.04	0.400.00		0400.00	
2.03 उद्यमिता क्किशस 4.92 4.92 87.86 87.86 20.50 20.50 37.25 37.25 2.04 संस्थागत प्रशिक्षण की अवसं्रव्यना को सुदृह करना				1736.19			2154.34							
2.04 संस्थागत प्रशिक्षण की अवसंंरचना को सुदृढ़ करना 2.05 कौशल संस्थानों का सुदृढ़ीकरण 3.00 33.00 2.06 विनियामक संस्थानों को सहायता 3.00 33.00 2.07 आदर्श आईटीआई/बहुकौशल प्रशिक्षण संस्थान 3.00 30.00 2.08 राष्ट्रीय कौशल विकास एवेंसी 3.00 30.00 2.00 30.00 2.00 30.00 3														
2.05 कौशल संस्थानों का सुदृद्वीकरण 2.06 विनियामक संस्थानों को सहायता 2.07 आदर्श आईटीआई/बहुक्कोशल प्रशिक्षण संस्थान 3.00														
2.06 विनियामक संस्थानों को सहायता														
2.07 आदर्श आईटीआई/बहुकौशल प्रशिक्षण संस्थान 50.00 50.00 <t< th=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>														
2.09 शिक्षुता और प्रशिक्षण 323.80 19.99 343.79 544.05 202.34 746.39 367.51 66.52 434.03 2.10 राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन बोर्ड 24.75 24.75 1.00 1.00 1.00 2.11 पॉलिटेक्निक की योजना 45.05 45.05 190.00 190.00 44.47 44.47 जोड़- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2129.96 19.99 2149.95 3071.00 202.34 3273.34 2698.82 66.52 2765.34 2656.65 20.00 2676.65	2.07 आदर्श आईटीआई/बहुकौशल प्रशिक्षण संस्थान				50.00		50.00							
2.10 राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन बोर्ड 24.75 24.75 1.00 1.00 2.11 पॉलिटेक्किक की योजना 45.05 45.05 190.00 190.00 44.47 44.47 जोड़- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2129.96 19.99 2149.95 3071.00 202.34 3273.34 2698.82 66.52 2765.34 2656.65 20.00 2676.65	2.08 राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी	20.00		20.00	20.00	***	20.00	15.00		15.00				
2.11 पॉलिटेक्निक की योजना 45.05 45.05 190.00 190.00 44.47 44.47	2.09 शिक्षुता और प्रशिक्षण	323.80	19.99	343.79	544.05	202.34	746.39	367.51	66.52	434.03				
जोड़- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2129.96 19.99 2149.95 3071.00 202.34 3273.34 2698.82 66.52 2765.34 2656.65 20.00 2676.65	2.10 राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन बोर्ड				24.75		24.75	1.00		1.00				
	2.11 पॉलिटेक्निक की योजना	45.05		45.05	190.00	•••	190.00	44.47		44.47				
कुल जोड़	जोड़- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	2129.96	19.99	2149.95	3071.00	202.34	3273.34	2698.82	66.52	2765.34	2656.65	20.00	2676.65	
	कुल जोड़	2171.20	26.82	2198.02	3141.00	259.00	3400.00	2750.54	69.52	2820.06	<i>2926.11</i>	63.10	2989.21	

सं 90/कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

(₹ करोड़)

											((4/(15)
	वास्तविक 2017-2018			ৰजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			ब जट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय 	•••	6.83	6.83		56.66	56.66	•••	3.00	3.00		43.10	43.10
जोड़-सामान्य सेवाएं		6.83	6.83		56.66	56.66		3.00	3.00		43.10	43.10
सामाजिक सेवाएं												
2. श्रम, रोजगार और कौशल विकास	1476.07		1476.07	1933.75		1933.75	2203.15		2203.15	1745.82		1745.82
3. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	41.24		41.24	70.00		70.00	51.72		51.72	269.46		269.46
4. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय		19.99	19.99		189.84	189.84		66.52	66.52		20.00	20.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	1517.31	19.99	1537.30	2003.75	189.84	2193.59	2254.87	66.52	2321.39	2015.28	20.00	2035.28
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	•••			314.41		314.41	244.08		244.08	265.62		265.62
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	649.19		649.19	760.29		760.29	241.55		241.55	629.51		629.51
7. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	4.70		4.70	62.55		62.55	10.04		10.04	15.70		15.70
8. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय					12.50	12.50						
जोड़-अन्य	653.89		653.89	1137.25	12.50	1149.75	495.67		495.67	910.83		910.83
कुल जोड़	2171.20	26.82	2198.02	3141.00	259.00	3400.00	2750.54	69.52	2820.06	2926.11	63.10	2989.21

- 1. **सचिवालय आर्थिक सेवाएं:** यह मंत्रालय, प्रशिक्षण महानिदेशालय, जनशिक्षण संस्थान और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) के लिए व्यय उपलब्ध कराता है। एनएसटीआई के स्थापना, प्रचालन और अनुरक्षण घटक को 'संस्थागत प्रशिक्षण की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण'' स्कीम से स्थापना शीर्ष में अंतरित करके स्थापना व्यय को अंतरिम बजट 2019-20 के साथ-साथ पुनर्गटित किया गया है।
- 2.01. **कौशल विकास:** (i) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) देश के सभी क्षेत्रों में 2016-2020 के दौरान 1 करोड़ (75 लाख नवीन प्रशिक्षण और 25 लाख आरपीएल) लोगों को अल्पावधि प्रशिक्षण प्रदान करने की एक स्कीम है। (ii) संकल्प- उन्नत गुणवत्ता और बाजार संगत कौशल प्रशिक्षण की प्राप्ति में वृद्धि करके प्रणाली की क्षमता और प्रभावकारिता को बढ़ाने के उद्देश्य से चलाई जाने वाली विश्व बैंक समर्थित परियोजना है। (iii) जनशिक्षण संस्थान विभिन्न ट्रेडों में अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों सहित प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थानों को सहायता अनुदान उपलब्ध कराता है। (iv) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम अखिल भारतीय स्तर पर कौशलीकरण पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संलग्नता का समर्थन करते हैं। (v) राष्ट्रीय कौशल विकास निधि की स्थापना देश में कौशल विकास के लिए सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों की प्रशिक्षण निधियों के लिए सरकार द्वारा 2009 में की गई थी।
- 2.02. प्रशिक्षता को प्रोत्साहन: इस स्कीम का उद्देश्य उद्योग में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करते हुए उद्योग में शिक्षुओं को सेवारत प्रशिक्षण प्रदान करना और शिक्षुता अधिनियम, 1961 को कार्यान्वित करना है, जो विनिर्माण, सेवा, व्यापार क्षेत्रों आदि के 40 या उससे अधिक कर्मचारियों के कार्यवल वाले और "नामित ट्रेडों" और "प्रचालन ट्रेडों" में शिक्षुता के कार्य में संलग्न नियोजकों के लिए इसे अनिवार्य बनाता है। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम का उद्देश्य शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देना और शिक्षुओं की संख्या जो अगस्त, 2016 में 2.3 लाख थी, को बढ़ाकर वर्ष 2020 तक बढ़ाकर संचयी रूप से 50 लाख करना है।

- 2.03. **उद्यमिता विकास:** शिक्षा और प्रशिक्षण, एडवोकेसी, मेंटर नेटवर्क, क्रेडिट, इंक्यूवेटर और एक्सीलरेटर सूचना मंच और अनुसंधान सहित उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों तक सहज पहुंच के माध्यम से उद्यमशीलता विकास के लिए अनुकुल पारिस्थितिकी तंत्र सुजित करना।
- 2.04. **संस्थागत प्रशिक्षण की अवसंंरचना को सुदृढ़ करना:** इस स्कीम का उद्देश्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और पॉलीटेक्क्रिकों के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले कौशल विकास/ट्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के निष्पादन, सार्थकता और प्रभावकारिता में सुधार करने के साथ-साथ उनकी अवसंरचना को उन्नत बनाना है। यह स्कीम इन संस्थानों को सहायता देने के लिए राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों की क्षमता में भी सहायता करती है।
- 2.05. **कौशल संस्थानों का सुदृत्रीकरण:** इस स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान (एनआईएमआई) को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है, जो मॉड्यूलर नियोजनीय कौशलों (एमईएस) के लिए शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत पाठ्यक्रम के लिए अनुदेशात्मक मीडिया पैकेज (आईएमपी) का विकास करने के लिए एजेंसी का निष्पादन कर रहा है और कर्मचारी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संचालन करने वाले तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के गुणात्मक तथा मात्रात्मक सुधार के लिए अनुसंधान करने वाले केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएसटीएआर) का संचालन करता है। इस स्कीम का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा संस्थान (आईटीई) सिंगापुर की तरह चार भारतीय कौशल संस्थानों (सर्वोत्कृष्ट केंद्रों) मुंबई और अहमदाबाद में पीपीपी मॉडल के अंतर्गत और दो कानपुर में, एक पीपीपी मॉडल के अंतर्गत और दूसरा केंद्रीय सरकार द्वारा पूर्णत: वित्त पोषित की स्थापना करना भी है।
- 2.06. **विनियामक संस्थानों को सहायता:** राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना दो मौजूदा निकायों यथा- राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) और राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन बोर्ड का विलय करके 10.10.2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन से

की गई थी। एनसीवीईटी के मुख्य कार्य अवार्डिंग निकायों, आकलन निकायों और सूचना प्रदाताओं को मान्यता प्रदान करना तथा उनका विनियमन करना, अवार्डिंग निकायों और क्षेत्र कौशल परिषदों द्वारा विकसित अर्हताओं को अनुमोदित करना और अवार्डिंग निकायों और आकलन एजेंसियों के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों का अप्रत्यक्ष विनियमन करना होगा।

- 2.07. **आदर्श आईटीआई/बहुकौशल प्रशिक्षण संस्थान:** प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत असेवित ब्लॉकों तथा क्षेत्रों में युवाओं को तकनीकी कौशल प्रदान करने पर बल देते हुए उद्योग जगत की सक्रिय भागीदारी से 1500 बहु-कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी।
- 2.08. **राष्ट्रीय कौशन विकास एजेंसी:** राष्ट्रीय कौशन विकास एजेंसी कौशन संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा सामाजिक, क्षेत्रीय, लैंगिक एवं आर्थिक अंतराल को समाप्त करने के लिए किए जाने वाले प्रयास में सरकारी एवं निजी क्षेत्र द्वारा किए जा रहे कौशन विकास प्रयासों के बीच समन्वय तथा तालमेल स्थापित करेगी।
- 2.09. **शिक्षता और प्रशिक्षण:** देशभर में व्यावसायिक/शिक्षुपता प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित, संचालित करना तथा प्रदान करना, प्रशिक्षण अवसंरचनाओं को अपग्रेड करना, नए प्रशिक्षण संस्थानों को खोलना, राज्य सरकारों को कौशल विकास एवं शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान करना तथा लाभकारी रोजगार के लिए उद्योगों को प्रशिक्षण के साथ संयोजित करना।
- 2.10. **राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन बोर्ड:** राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन बोर्ड: राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन बोर्ड देश में कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क के अनुरूप परीक्षाएं आयोजित करने, मूल्यांकन करने तथा राष्ट्रीय स्तर के प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए एक स्वायत्तशासी वृत्तिक बोर्ड के रूप में कार्य करेगा।
- 2.11. **पॉलिटेक्निक की योजना:** यह केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है, इसका लक्ष्य राज्य की उच्चतर और तकनीकी संस्थाओं को कार्यनीतिक निधियन प्रदान करना है। राज्य व्यापक राज्य उच्चतर शिक्षा आयोजना तैयार करेंगे जो विस्तार, समता और उत्कृष्टता की समस्याओं का एक साथ निवारण करने के लिए परस्पर संबंधित कार्यनीति का उपयोग करेंगे। केन्द्रीय निधियन राज्य उच्चतर शिक्षा के अकादमी, प्रशासनिक और वित्तीय सुधार से संबंधित होगा। इसमें पोलिटेकनिक को सहायता के लिए प्रावधान भी शामिल होगा।